



दिनांक:- 25.09.2026

-प्रेस नोट-
औपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 265 ग्राम अवैध स्मैक पाऊंडर (जिसकी अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **"औपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"औपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त उस्मान पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहउद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम रीढी मोहउद्दीनपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 265 ग्राम स्मैक पाऊंडर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 390/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- उस्मान पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहउद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 265 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये)

अभियुक्त उस्मान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 533/2025 धारा 115(2), 191(1), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 497/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

4. मु0अ0सं0 419/2023 धारा 332/353 भादवि व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना बेहट
5. मु0अ0सं0 174/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 122/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 189/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
3. का0 2164 जसवन्त सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक- 25.09.2026

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त असलम पुत्र शकील निवासी ग्राम संगमौर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को अब्दुल्लापुर से फिरोजाबाद मार्ग पर स्थित ट्यूबवैल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 343/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

असलम पुत्र शकील निवासी ग्राम संगमौर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0असं0 235/21 धारा 340/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 244/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 246/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 186/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 415/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. रि0का0 626 निक्कू सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक- 25.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी/ ओवरलोड अवैध खनन परिवहन करने वाले 02
वाहन डम्फरो को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में राजस्व टीम के साथ थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

आज दिनांक 25.09.2026 को चेकिंग के दौरान दभेडा कलां मार्ग से 02 वाहनों को बिना रायल्टी व ओवरलोड खनन सामग्री का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने के कारण मय अवैध खनन सामग्री के सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।

वाहन का विवरण

- 01 डम्पर नं० HR38AB0091
- 01 डम्पर नं० HR58E9635

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री विकास तोमर थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. है०का० 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर



दिनांक - 25.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शांतिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान (15 कन्सीलड रंग सफेद, 04 MCB, 01 वाटर ओवर फ्लो अलार्म, 07 स्विच बोर्ड, 02 बल्व होल्डर, 1 MM व 1.5 MM की डोरी के बण्डल) बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 24.09.2026 को वादी श्री टिकू पुत्र रामदास निवासी चकहरेटी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से 6 स्विच बोर्ड, 5 MCB, 15 कंसिलड लाईट, 1 पानी की टंकी की अलार्म बैल व लगभग 4 बंडल तार के खुले हुए चोरी कर ले जाने के संबंध में दाखिल किये जाने पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 239/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री प्रदीप कुमार चीमा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1. अंकित उर्फ अनिकेत पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर व 2. अजय पुत्र विनोद निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे रजवाहे की पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गया सामान बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अंकित उर्फ अनिकेत पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. अजय पुत्र विनोद निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 15 कन्सीलड रंग सफेद (11 HALONIX व 04 HAEELS)
- 04 MCB (03 HAVELLS व 01 HALONIX)
- 01 वाटर ओवर फ्लो अलार्म (CAMRON)
- 07 स्विच बोर्ड रंग काला (03 बडे व 04 छोटे)
- 02 बल्व होल्डर रंग सफेद व पीले मय 02 सफेद होल्डर सहित
- 1 MM व 1.5 MM की लाल सफेद काली व पीली बिजली की ताम्बे की डोरी के बण्डल

अभियुक्त अंकित उर्फ अनिकेत का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 116/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी

2. मु0अ0सं0 450/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात
3. मु0अ0स0- 239/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना जनकपुर, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 218 अय्यूब थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
4. रि0कां0 1046 विकास कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक -25.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW

वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारन्टी अभियुक्त जोनी पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर निकट कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर को सम्बन्धित वाद 2625/24 व धारा 125(3) सीआरपीसी व 144(3) बीएनएस मा0 न्यायालय अपर प्रिन्सिपल जज परिवार न्यायालय सहारनपुर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जोनी पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर निकट कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



दिनांक- 25.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 25.09.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त संजय पुत्र राम किशन निवासी ग्राम कांजीवास थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादी की 55 वर्षीय माता के साथ छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म का प्रयास करने की सूचना पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 315/26 धारा 64(2) बीएनएस थाना सरसावा पर पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए **वांछित अभियुक्त संजय पुत्र राम किशन निवासी ग्राम कांजीवास थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को कांजीवास से मंझौर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजय पुत्र राम किशन निवासी ग्राम कांजीवास थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र पाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 532 ऋषिपाल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. म0का0 2123 सरिता थाना सरसावा सहारनपुर
5. रि0का0 2290 कासिम अहमद थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 25.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 फ्रूटी अवैध देशी शराब महबूबा (उ0प्र0 मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.09.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त नदीम उर्फ बबलू पुत्र वाजिद निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर** को सैन्ट मेरी जाने वाले रास्ते से शान्ति धाम जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25 फ्रूटी अवैध देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0- 314/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम उर्फ बबलू पुत्र वाजिद निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

25 फ्रूटी अवैध देशी शराब महबूबा

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 308/21 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 60/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 314/26 धारा 60(1) आब0 अधि थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 देवकरण शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 03 हरेन्द्र कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 2581 राहुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 ट्रेटा पैक देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शराब तस्कर अभियुक्तगण 1. सन्नी पुत्र सतीश निवासी ग्रा0 लुण्डी थाना में थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर व 2. शिवम पुत्र लाखन निवासी भाकला थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को घसोती रोड पोपलर पेड़ों के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 20-20 अदद ट्रेटा पैक देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0स0 311/26 धारा 60 अबकारी अधिनियम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सन्नी पुत्र सतीश निवासी ग्रा0 लुण्डी थाना में थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. शिवम पुत्र लाखन निवासी भाकला थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

20-20 अदद ट्रेटा पैक देशी शराब मशाला दो अलग अलग कट्टे में बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. रि0 आ0 142 रोहित थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
3. रि0का0 1840 संदीप थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।